4. पुलिस जिले

4.1. प्रस्तावना

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सम्पूर्ण रा.रा.क्षे. दिल्ली को भौगोलिक रूप से दो क्षेत्रों (प्रत्येक का नेतृत्व विशेष पुलिस आयुक्त द्वारा किया जाता है) में विभाजित किया गया है, प्रत्येक को आगे तीन रेंजों (प्रत्येक का नेतृत्व संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा किया जाता है) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पुलिस रेंज को आगे दो से तीन पुलिस जिलों (प्रत्येक का नेतृत्व पुलिस उपायुक्त द्वारा किया जाता है) में विभाजित किया गया है, जिसके नीचे सब-डिवीजन (प्रत्येक का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा किया जाता है) है। और इसके पश्चात उनके अधिकार क्षेत्र के तहत अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के अग्रणी स्तर पर पुलिस स्टेशन (जिनका नेतृत्व एसएचओ/इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है) है।

वर्ष 2018 के दौरान, दिल्ली में 14[21] पुलिस जिले और 163 पुलिस स्टेशन थे। इनमें से, लेखापरीक्षा ने छः पुलिस जिलों[22] तथा इनके अंतर्गत आने वाले सभी 72 पुलिस स्टेशनों की निरीक्षण जाँच की।

चित्र 4.1: दिल्ली पुलिस जिलों का मानचित्र (चयनित छः जिलों को दर्शाया गया है)

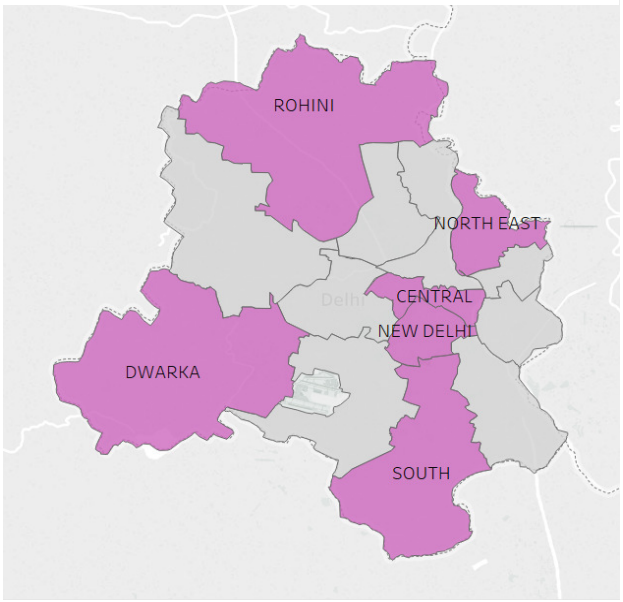

पुलिस का प्रमुख कार्य जैसे, कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों के जांच और पड़ताल पुलिस स्टेशनों के माध्यम से किये जाते हैं। इस प्रकार प्रभावी पुलिसिंग के लिए पुलिस स्टेशनों में आवश्यक हथियार तथा संचार उपकरण से युक्त पर्याप्त पुलिस कर्मी नियुक्त होने चाहिए तथा आवश्यक भौतिक अवसंरचना भी प्रदान की जानी चाहिए।

[21] जून 2020 तक, 15 पुलिस जिलें (01 जनवरी 2019 से "आउटर नोर्थ" नये जिले के निर्माण के पश्चात्) तथा 178 क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन थे।

[22] सांख्यिकीय यादृच्छिक नमूना विधि के माध्यम से चयनित

4.2. पुलिस जिलों में जनशक्ति की स्थिति

पुलिस जिलों में जनशक्ति की स्थिति 01 अप्रैल 2019 तक, दिल्ली पुलिस में जनशक्ति की कुल 11 *प्रतिशत* की कमी के प्रति पुलिस जिलों में 18 *प्रतिशत* की कमी थी।

छः पुलिस जिलों की निरीक्षण जाँच में, वास्तविक संस्वीकृत क्षमता के आधार पर उच्च अधीनस्थों (इंस्पेक्टर, एसआई एवं एएसआई) तथा निम्न अधीनस्थों (हेड कांस्टेबलों तथा कांस्टेबलों) की वास्तविक क्षमता चार्ट 4.1 में दर्शायी गई है।

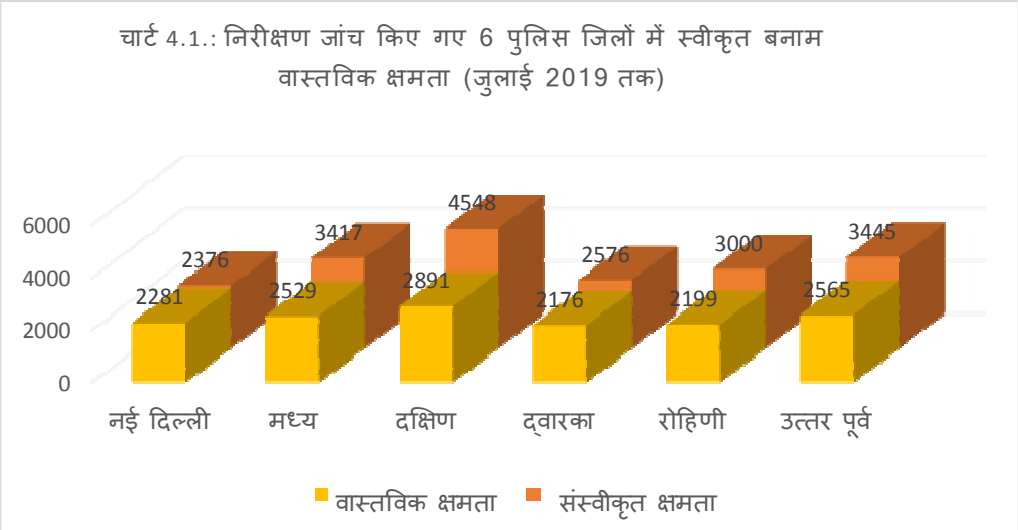

स्रोतः दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

उपर्युक्त चार्ट 4.1 से यह देखा जा सकता है कि संचयी रूप से, निरीक्षण जांच किए गए छः पुलिस जिलों में संस्वीकृत क्षमता के प्रति जनशक्ति की उपलब्धता में 24 *प्रतिशत* की कमी है। इन छः जिलों में, नई दिल्ली जिले में सबसे कम चार *प्रतिशत* से लेकर दक्षिण जिले में अधिकतम 36 *प्रतिशत* तक जनशक्ति की कमी है।

साथ ही यह भी देखा गया था कि जनशक्ति की कमी तुलनात्मक रूप से उच्चतर भा.दं.स. अपराध से ग्रसित पुलिस जिलों में कही अधिक थी, जबकि नई दिल्ली जिले में जनशक्ति की कमी (भा.दं.स. अपराध बहुत कम होने के बावजूद) दिल्ली पुलिस के अन्य जिलों से बहुत कम थी।

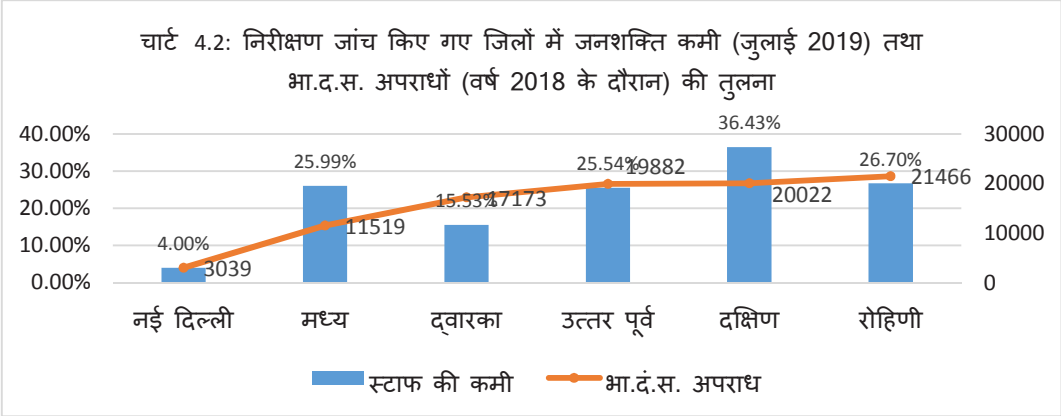

स्रोतः दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

इस प्रकार, सभी जिलों/ईकाईयों में दिल्ली पुलिस की जनशक्ति की कमी का समान रूप से वितरण करने के बजाय, पुलिस की तैनाती उच्चतर अपराध दर्ज किए गए जिलों के मुकाबले अत्याधिक वीआईपी उपस्थित जिलों जैसे नई दिल्ली में अधिक की गई थी।

दिल्ली पुलिस ने (जून 2020) जवाब दिया कि जिलों में कमी की प्रतिशतता में अंतर को अभी कम किया गया है, अर्थात्, द्वारका जिला में 12 *प्रतिशत*, नई दिल्ली जिला में 20 *प्रतिशत*, रोहिणी जिला में 23 *प्रतिशत*, उत्तर-पूर्व जिला में 24 *प्रतिशत*, दक्षिण जिला में 25 *प्रतिशत* तथा मध्य जिला में 26 *प्रतिशत*। लेखापरीक्षा का मानना है कि दिल्ली पुलिस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंतर को कम करने का प्रयास कर सकती है।

4.3. पुलिस स्टेशन बनाम जिला/सब-डिवीजन मुख्यालयों में जनशक्ति

प्रत्येक पुलिस जिले में, जनशक्ति जिला/उप प्रभाग मुख्यालयों तथा पुलिस स्टेशनों में तैनात की जाती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निरीक्षण जांच किए गए छः पुलिस जिलों के मुख्यालयों में जनशक्ति की अधिक तैनाती (चार *प्रतिशत*) थी जबकि पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मी की 35 *प्रतिशत* कमी थी।

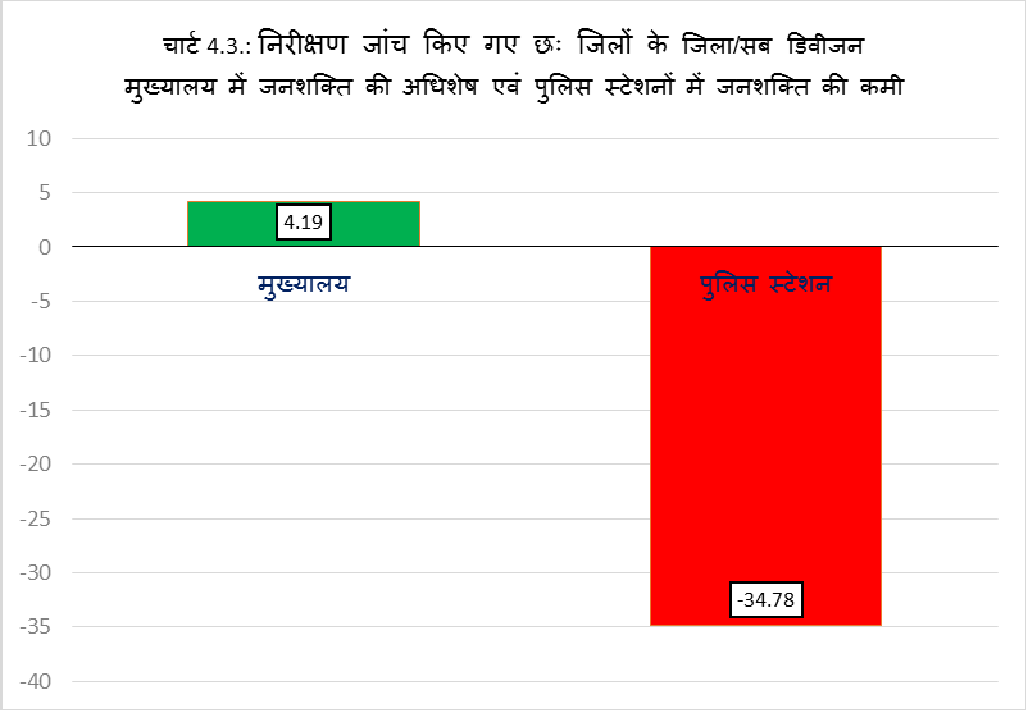

स्रोतः जिला मुख्यालय द्वारा प्रदत्त जानकारी (जून/जुलाई 2019 तक)

पुलिस बल के लिए पुलिस स्टेशन अंतिम पड़ाव होते है तथा दिल्ली पुलिस को अंतिम पड़ाव पर कमी को कम करने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली पुलिस जिला/सब-डिवीजन मुख्यालयों से अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को निकालने तथा उन्हें पुलिस स्टेशनों में तैनात करने का विचार कर सकती है।

4.4. पुलिस स्टेशन

मानदण्डों के अनुसार, एक पुलिस स्टेशन में पुलिस कार्मिको की आवश्यकता को तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: पुलिस स्टेशन में कर्मियों की आवश्यकता

क्र.सं.	पु.स्टे. में एक वर्ष में दर्ज की गई भा.द.स. अपराधों की सं.	आवश्यक जनशक्ति
1.	250 से कम	196
2.	250-500	207
3.	500 से अधिक	220

इन मानदंडो के आधार पर, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 196 पुलिस कार्मिक नियुक्त होने चाहिए। निरीक्षण जांच किए गए छः पुलिस जिलों में 72[23] पुलिस स्टेशन थे, जिनमें से 59, आठ और पांच पुलिस स्टेशनों में क्रमशः 220,

[23] 1 जनवरी 2019 के पश्चात् पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़कर 74 हो गई

207 तथा 196 कर्मियों की आवश्यकता थी। यद्यपि 72 पु. स्टे. में से केवल एक के पास आवश्यक कर्मी की संख्या (नरेला पु. स्टे. में 237) थी तथा शेष 71 पु. स्टे. में, कर्मियों की संख्या न्यूनतम आवश्यकता 196 के प्रति 64 से 186 के बीच थी।

पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद, कुछ[24] पुलिस कार्मिक वास्तव में जिला मुख्यालयों में तैनात किये गये थे जबकि उनकी नियुक्ति पुलिस स्टेशनों में की गई थी। यह पुलिस स्टेशनों के कामकाज को प्रभावित करता है क्योंकि वे पहले से ही जनशक्ति की भारी कमी से जूझ रहे हैं।

4.4.1 स्थिर बनाम सक्रिय ड्यूटी

पुलिस स्टेशन में, पुलिस कार्मिक के लिए विभिन्न भूमिकाएं एवं कर्तव्य है। इन कर्तव्यों को मूल रूप से स्थिर कर्तव्यों जैसे, स्वागत कक्ष, मालखाना, रिकॉर्ड रूम, डाक डयूटी इत्यादि तथा सक्रिय कर्तव्य, जैसे, अपराध की जांच, बीट डयूटी, चौकियां, पेट्रोलिंग ड्यूटी इत्यादि के रूप में विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि स्थैतिक ड्यूटी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्रिय पुलिसिंग (अर्थात कानून व्यवस्था का रखरखाव और अपराध की जाँच) कुशलतापूर्णक और प्रभावी ढंग से की जाए, सक्रिय डयूटी में स्टाफ की पर्याप्तता का अत्यधिक महत्व है।

72 पुलिस स्टेशनों में, स्थिर कर्त्तव्यों के लिए जनशक्ति की वास्तविक उपलब्धता और निर्धारित मानदंड़ो के अनुसार आवश्यकता की तुलना में सक्रिय कर्त्तव्यों का विवरण चार्ट 4.4 में दिया गया है।

[24] हौज खास पुलिस स्टेशन, द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन, बेगमपुर पुलिस स्टेशन, आई.पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट तथा सीलमपुर पुलिस स्टेशन से क्रमशः सात, सात, पाँच, दो, दो और तीन पुलिस कार्मिक जिला मुख्यालयों में तैनात थे।

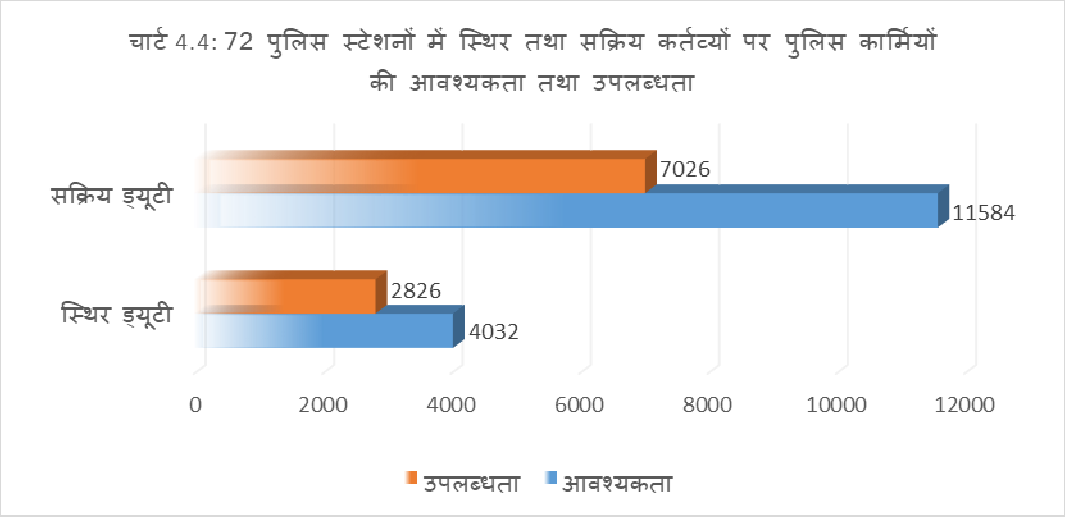

स्रोतः दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि पुलिस स्टेशनों में, मानदंड के अनुसार व्यापक कमी है, तथा जनशक्ति की तैनाती की विषमता स्थिर ड्यूटी के पक्ष में अधिक है क्योंकि स्थिर ड्यूटी में 30 *प्रतिशत* की कमी की तुलना में सक्रिय ड्यूटी में 39 *प्रतिशत* की अधिक कमी है।

4.4.2 बीट पुलिसिंग

पुलिस शब्दावली में, एक पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के भीतर का क्षेत्र भौगोलिक रूप से 'बीट' में विभाजित होता है। गृह मंत्रालय की आंतरिक समिति की सिफारिशों के अनुसार, प्रभावी एवं सक्रिय पुलिसिंग हेतु एक बीट में कुल स्टाफ एसआई/एएसआई (बीट प्रभारी), तीन हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल होने चाहिए। बीट प्रभारी पुलिसिंग की रीढ़ होते है और अपराध की रोकथाम और जांच तथा अपने बीट के भीतर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। वे पुलिस और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक होते हैं और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में प्रत्येक आपराधिक गतिविधि के बारे में पता होना चाहिए ताकि उनके संबंधित क्षेत्रों में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पांच विभिन्न जिलों में से पांच पुलिस स्टेशनों के 20 बीटों में जनशक्ति की निरीक्षण जांच की तथा पाया कि 20 बीटों में से, नौ बीट बिना बीट प्रभारी के थीं तथा 19 बीटों में निम्न अधीनस्थ स्टाफ की कमी थी (फरवरी 2020)। कुल मिलाकर, सभी 20 बीटों में स्टाफ की कमी थी। विशेष रूप से, कुछ बीटों में एक विशेष कैडर में अतिरिक्त स्टाफ था जैसे नई दिल्ली के एक बीट में 4 एएसआई नियुक्त थे जबकि मानदंड के अनुसार प्रति बीट केवल एक एएसआई/एसआई की आवश्यकता होती है।

इसके अतिरिक्त, बीट स्टाफ के आगमन और प्रस्थान से संबंधति दैनिक डायरी प्रविष्टि नियमित रूप से दर्ज की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नोएडा और बेंगलुरू में, पुलिस विभाग ने 'बीटों' पर क्यूआर कोड आधारित निगरानी को अपनाया है जिसमें बीट स्टाफ को पेट्रोलिंग के दौरान उनके द्वारा कवर किए जाने के लिए आवश्यक निर्धारित जगह/स्थानों पर लगाए गए कोड़ स्कैन करना आवश्यक है। यद्धयपि, बीट पेट्रोलिंग की अधिक कुशल निगरानी हेतु समान तकनीकी समाधान दिल्ली पुलिस में नहीं देखा गया।

4.4.3 जांच दल

अपराध की जांच एक जटिल कार्य है, बयानों को सत्यापित करने के लिए गवाहों का परीक्षण और पुनः परीक्षण, अपराध स्थल का संरक्षण, संदिग्धों की निगरानी, एक या अधिक आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, पुलिस रिकॉर्डों का विस्तृत परामर्श इत्यादि शामिल है तथा कौशल के अलावा समय और टीमवर्क की भी आवश्यकता होती है।

गृह मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत मानदंडों के अनुसार, एक वर्ष में 60 भा.द.स./75 गैर-भा.द.स. मामलों[25] की जांच के लिए एक एसआई/एएसआई, एक हेड कांस्टेबल[26] और एक कांस्टेबल के जांच दल की आवश्यता होती है। लेखापरीक्षा नें पाया कि इन मानदंडों के अनुसार, निरीक्षण जांच किए गए छः पुलिस जिलों में 1811 जांच दलों की आवश्यकता थी, जिसके विपरीत सक्रिय कर्त्तव्यों के लिए उपलब्ध जनशक्ति की कमी के कारण सिर्फ 587 जाँच दल उपलब्ध थे। पुलिस स्टेशनों में जाँच दलों की कमी गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह अपराधिक मामलों की जांच में लगने वाले समय को प्रभावित करती है, यह विलंब पीड़ितों को न्याय की प्राप्ति को प्रभावित कर रहा है। निरीक्षण जांच किए गए छः पुलिस जिलों में, आवश्यकता के प्रति जांच दलों की उपलब्धता में बड़े पैमाने पर अंतर था। चार्ट 4.5 में स्थिति को दर्शाया गया है।

---

[25] बीपीआरएण्डडी का विश्लेषण दर्शाता है कि एक दल एक एसआई/एएसआई, एक हे.का. तथा दो कांस्टेबल से गठित होना चाहिए।

[26] एसआई तथा हे.का. मामलों की जांच में शामिल होंगे तथा कास्टेबल केवल जांच में सहायता करेंगे।

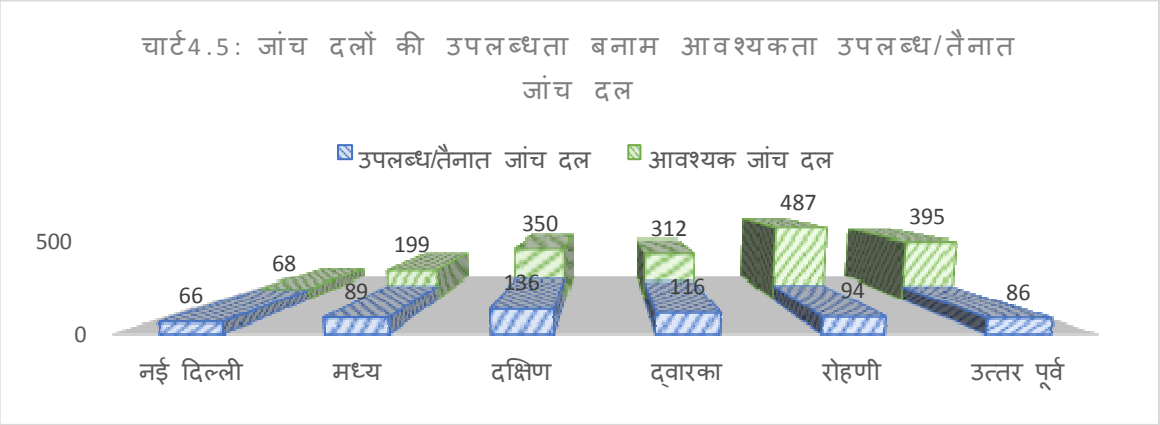

स्रोत: दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

उपलब्ध जांच दलों की संख्या नई दिल्ली जिला में केवल तीन *प्रतिशत* तक कम थी, शेष पांच जिलों में 55 से 78 *प्रतिशत* तक की कमी थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कानून और व्यवस्था कर्त्तव्यों से अलग अपराधिक जांच कर्त्तव्यों के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय को अतिरिक्त 2907 पदों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत (सितम्बर 2005) किया गया। बाद में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र और राज्यों को कानून और व्यवस्था कर्त्तव्यों से अपराध जांच कर्त्तव्यों को अलग करने का निर्देश (जनवरी 2017) दिया। यह पाया गया था कि नवम्बर 2010 तक प्रस्ताव के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई, जबकि संबंधित फाईल को बगैर कोई कारण दर्ज किए वापस ले लिया गया था। बाद में दिसम्बर 2012 के निर्भया कांड के बाद इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार (जनवरी 2013) किया गया। बाद में, दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त पदों के प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय के लिए उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय को निर्देश (अगस्त 2014) दिया। इसके बाद, अपराध जांच के पृथक्करण के लिए 2907 पदों का प्रस्ताव 4974 के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया था, लेकिन दिसम्बर 2015 तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को जिस तरह से और जिस गति से संभाला जा रहा था, उस पर निराशा व्यक्त की।

तत्पश्चात्, गृह मंत्रालय ने (दिसम्बर 2015) जांच कार्यों के पृथक्करण के लिए 4227 पदों को संचालित करने हेतु अनुमोदित किया तथा दो चरणों में अर्थात् 2016-17 में 2115 पदों तथा 2017-18 में शेष 2112 पदों का निर्णय लिया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कानून एवं व्यवस्था कर्त्तव्यों से अपराध जांच का पृथक्करण छः पुलिस जिलों के 72 पुलिस स्टेशनों में से केवल 14 में किया गया था (जून 2019 तक)।

दिल्ली पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर एवं जाँच दलों की संख्या बढ़ाकर अपराध जांच कर्त्तव्यों तथा कानून एवं व्यवस्था कर्त्तव्यों का पृथक्करण कार्यान्वित कर सकती है।

दिल्ली पुलिस ने जवाब (जून 2020) दिया कि निरीक्षण जाँच किए गए छः जिलों में जांच दलों की संख्या को अब 835 तक बढा दिया गया है। जून 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये जाँच दलों की नवीनतम स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान प्रारम्भ में अवलोकित जाँच दलों की कमी की सीमा जो शुरू में तीन से 72 *प्रतिशत* था अब 32 से 69 *प्रतिशत* तक बढ़ गया है। लेखापरीक्षा का मानना है कि दिल्ली पुलिस को जिलों में जाँच दलों की संख्या की कमी को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

4.5 पुलिस कर्मियों की दीर्घ अवधि ड्यूटी

मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी कि पुलिस अधिकारी के ड्यूटी का औसत घण्टे साधारणतया एक दिन में आठ घण्टे से अधिक न हो; बशर्ते कि असाधारण स्थितियों में, पुलिस अधिकारी की ड्यूटी अवधि को 12 घण्टे तक या उससे अधिक बढ़ाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुलिस कर्मियों की कमी तथा कार्य की प्रकृति के कारण, मौजूदा जनशक्ति/पुलिस कर्मी गंभीर तनाव में थे क्योंकि छः निरीक्षण जांच किए गए जिलों में औसत[27] दैनिक ड्यूटी घण्टे 12 से 15 घण्टे की सीमा में थे (चार्ट 4.6)।

[27] औसत कार्य घंटे एवं साप्ताहिक छुट्टी की गणना हेतु, छः चयनित जिलों के 72 पुलिस स्टेशनों हेतु 2018 के चार महीने अर्थात् जनवरी, अप्रैल अगस्त एवं अक्तूबर (यादृच्छिक नमूनों द्वारा चयनित) के लिए डाटा का चयन किया गया। इन 72 पुलिस स्टेशनों में दस *प्रतिशत* कार्यरत स्टाफ के कार्य घंटे के आधार पर औसत निकाला गया है, जैसा दिल्ली पुलिस द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान किया गया।

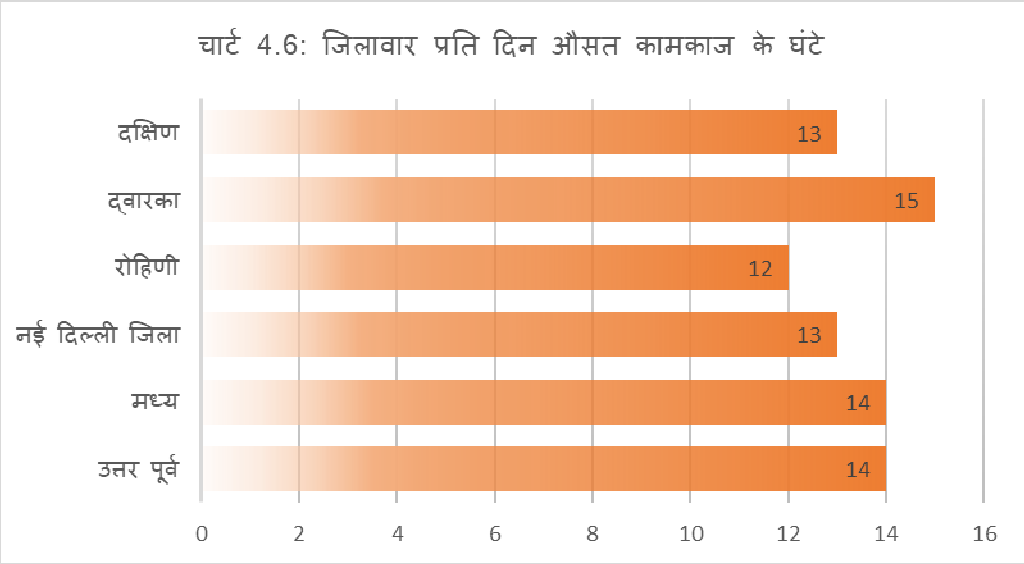

स्रोत: दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

इसके अतिरिक्त, जनशक्ति को एक माह में दिए जाने वाले चार दिन के विश्राम के संबंध में निरीक्षण जांच किए गए छः[28] जिलों में से पांच में दिए गए औसत मासिक विश्राम शून्य से 2.94 के बीच है। पांच जिलों के पुलिस कर्मियों द्वारा लिए गए मासिक विश्राम का विवरण नीचे चार्ट 4.7 में दर्शाया गया है:

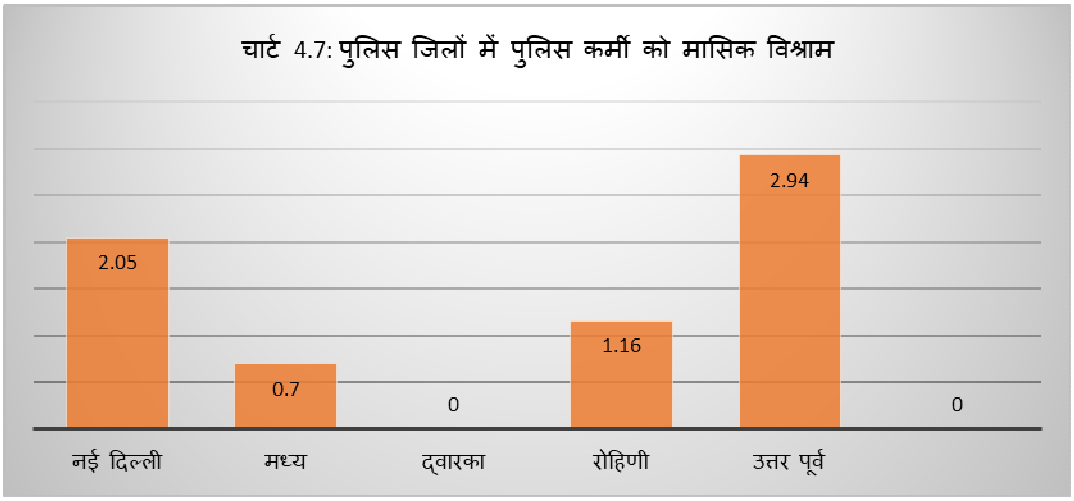

स्रोत : दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

इस प्रकार, यह पाया गया था कि पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मी भारी तनाव में रहते है जबकि दैनिक कार्य की अवधि जो कि साधारणतया आठ घंटे होती है, लगातार 12 घंटे से अधिक थी तथा साथ ही उनको माह में तीन दिन से कम विश्राम उपलब्ध था। इन कठोर कार्य परिस्थितियों का पुलिस कर्मियों के शारीरिक

[28] दक्षिणी जिला संबंधित रिकॉर्ड प्रदान नहीं किया।

और मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः दिल्ली पुलिस को पुलिस स्टेशनों में जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जनशक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए बढाया जाए ताकि सभी पुलिस कर्मी पर्याप्त/उचित विश्राम पाए, तथा मॉडल पुलिस अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के साथ पुलिस कर्मियों की कार्यावधि संबंधित हो।

दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया (जून 2020) कि पर्याप्त जनशक्ति के अभाव में विभिन्न प्रकार के कार्य अतिरिक्त कार्य घंटों द्वारा संपादित किया जाता है। जवाब से स्पष्ट है कि जनशक्ति की कमी से मौजूद पुलिस कर्मियों पर अधिक दवाब पड़ता है।

4.6 पुलिस स्टेशनों में गतिशीलता

गतिशीलता को घटना स्थल पर शीघ्रता से पुलिस बल इकाई को स्थानांतरित करने की क्षमता के संदर्भ में मापा जाता है। त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया से कीमती जीवन को बचाने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक और निजी संपति की रक्षा करने में मदद मिलती है, इसके अतिरिक्त यह पुलिस कार्य की विश्वसनीयता का एक सूचक होता है। बीपीआरएण्डडी ने पुलिस स्टेशनों के लिए विभिन्न प्रकार के परिचालन वाहन के लिए जैसे कि भारी/मध्यम/हल्के वाहनों तथा मोटरसाइकिलों के स्तर निर्धारित किए गए है। बीपीआरएण्डडी के अनुसार, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए सात चार-पहिया वाहन, 18 दो-पहिया वाहन तथा तीन विशेष[29] चार-पहिया वाहन आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने छः चयनित जिलों के 72[30] पुलिस स्टेशनों में आवश्यकता के प्रति वाहनों की उपलब्धता की स्थिति का परीक्षण किया तथा पाया कि प्रति वाहनों की उपलब्धता[31] में व्यापक कमी थी। चार-पहिया वाहनों, विशेष चार-पहिया वाहनों तथा दो-पहिया वाहनों में क्रमश: 75 *प्रतिशत*, 78 *प्रतिशत* और 53 *प्रतिशत* की कमी थी (जिलावार विवरण अनुलग्नक-3 में)।

वाहनों की कमी पुलिस की गतिशीलता विशेष रूप से उनके पंट्रोलिंग कार्यों तथा कानून व व्यवस्था घटनाओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पुलिस स्टेशनों में वाहनों

---

[29] एक टाटा-407, एक मिनीबस और पिकअप वैन

[30] दिसम्बर 2018 से मार्च 2019 के दौरान लेखापरीक्षा की तिथि तक

[31] जनवरी 2019 के बाद पुलिस स्टेशनों की संख्या बदल गयी है। लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2018 तक 72 पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण किया जो 6 जिलों में थे।

की खरीद के लिए न कोई प्रस्ताव, और न कोई अनुरोध प्रस्तुत किया है और न ही जिला मुख्यालयों ने वाहनों की कमी से संबंधित मामलों का संज्ञान लिया है।

दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पुलिस स्टेशनों में वाहनों की कमी का जल्द से जल्द आकलन किया जाए और समयबद्ध तरीके से कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि 4,444 अतिरिक्त वाहनों की खरीद का प्राधिकार दिल्ली पुलिस को दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, 1874 मोटर साइकिल खरीदी गयी तथा जिलों को आवंटित की गयी। शेष वाहन 2020-21 एवं 2021-22 में दिल्ली पुलिस द्वारा खरीदे जाएंगे।

लेखापरीक्षा का मानना है कि दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशनों/इकाईयाँ सदैव आवश्यकता/मानदंडों के अनुसार वाहनों से युक्त रहें, एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिसमें वर्ष में अनुपयोगी होने वाले वाहनों के बदलाव की प्रक्रिया को पहले से ही शुरू किया जाता है।

4.7 पुलिस स्टेशनों में भौतिक अवसंरचना

पुलिस स्टेशन पुलिस बल की एक महत्वपूर्ण इकाई है जहां पुलिस कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, मामलों की जांच इत्यादि के अपने कार्यों का निर्वहन करती है तथा यह नागरिकों और पुलिस के बीच बातचीत का प्राथमिक केंद्र होता है। पुलिस स्टेशनों के वर्तमान के कार्यात्मक क्षेत्र और सौंपे गए कार्यों की संख्या पर विचार करते हुए बीपीआरएण्डडी ने जनशक्ति के सुचारू रूप से कार्य करने और पुलिस स्टेशन आने वाले पीड़ित नागरिकों के लिए कार्यात्मक स्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए कुछ मानक मानदंड स्थापित किए हैं। छः चयनित जिलों में सभी 72 पुलिस स्टेशनों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने आगंतुक जनता और पुलिस कर्मी के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में कई कमियों को पाया। उत्तरवर्ती पैराग्राफों में प्रमुख कमियों की चर्चा की गई है।

4.7.1 नागरिक केंद्रित और सार्वजनिक सुविधाएं

पुलिस स्टेशनों तक दिव्यांगों का अनुकूल पहुंच

आवश्यकता	*स्थिति*
दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए कम ढाल वाली रैंप और रेलिंग के साथ, पुलिस स्टेशनों के लिए प्रवेश द्वार दिव्यांग अनुकूल होना चाहिए।	निरीक्षित किए गए 72 पुलिस स्टेशनों में से 23 में दिव्यांग अनुकूल पहुंच नहीं है, अर्थात, रैंप/लिफ्ट उपलब्ध नहीं थे और आगंतुकों को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने के लिए सीढियों/कदमों की पर्याप्त संख्या चढना पड़ता है। (अनुलग्नक-4 में विवरणें हैं)

दिल्ली पुलिस ने जवाब (जून 2020) दिया कि पीडब्ल्यूडी को 42 दिल्ली पुलिस भवनों में रैंपों के निर्माण से संबंधित कार्य को शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा अन्य भवनों हेतु आकलनों का अनुग्रह किया गया है। दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द जरूरी कामों को पूरा कर सकती है।

स्वागत/प्रतीक्षा क्षेत्र

आवश्यकता	*स्थिति*
पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर स्वागत काउंटर के साथ स्वागत क्षेत्र और आगंतुको के लिए एक संलग्न प्रतीक्षालय होना चाहिए ताकि वे आराम से बैठ सके और प्रतीक्षा कर सके।	निरीक्षण जांच किए गए 72 पुलिस स्टेशनों में से केवल 15 पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त प्रतीक्षालय थे (123 वर्ग मी.) जबकि चार पुलिस स्टेशनों में यथोचित प्रतीक्षालय (20 वर्ग मी. से कम) नहीं थे और 53 पु. स्टे. में मानदंड के तुलना में (123 वर्ग मी.) बहुत छोटे प्रतीक्षालय (20-50 वर्ग मी.) थे। उदाहरणार्थ चित्र नीचे उपलब्ध कराए गए है। (अनुलग्नक-4 में विवरण है)

चित्र 4.2:के.एम.पुर पु.स्टे. (दक्षिण जिला) तथा छावला पु. स्टे. द्वारका में प्रतीक्षा कक्ष/स्वागत डेस्क

आगंतुकों के लिए शौचालय

आवश्यकता	*स्थिति*
पुरूष, महिला और दिव्यांग आगंतुकों के लिए स्वागत के समीप एक अलग शौचालय होना चाहिए	सभी 72 पुलिस स्टेशनों में, आगंतुकों और पुलिस कार्मिक के लिए समान शौचालय मौजूद थे। यद्धपि, दिव्यांग अनुकूल शौचालय छः जिलों के 72 पुलिस स्टेशनों में से चार जिलों के केवल 18 पु.स्टे. में उपलब्ध थे।

महिला सहयता डेस्क

आवश्यकता	*स्थिति*
स्वागत कक्ष के पास, महिलाओं की सहायता और शिकायत को सुनने के लिए महिला सहायता डेस्क का एक अलग क्षेत्र होना चाहिए।	लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि सभी 72 पु.स्टे. में महिला सहायता डेस्क उपलब्ध था, लेकिन 72 पुलिस स्टेशनों में से 37 में बंद जगह में नहीं था और इसीलिए, महिला आगंतुकों को गोपनीयता की भावना प्रदान नहीं की जा सकी। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पीड़ित के बयान को निजता में दर्ज किया जाएगा, एक बंद जगह में महिला सहायता डेस्क की उपलब्धता महत्व रखती है (अनुलग्नक-4 में विवरण है)।

चित्र 4.3: उदाहरणार्थ चित्र दर्शाता है कि महिला सहयता डेस्क बिना किसी गोपनीयता के आभास के खुले में स्थापित है।

दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा (जून 2020) कि नये पुलिस स्टेशनों को बीपीआरएण्डडी मानदंडों के अनुसार निर्मित किए जा रहे है तथा सभी पुलिस स्टेशनों में ऐसे प्रावधान बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे है। दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित कर सकती है कि शिकायतकर्ता को गोपनीयता प्रदान करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क एक बंद जगह में हो।

हवालातें

आवश्यकता	*स्थिति*
प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एनएचआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार हवालात होने चाहिए, तथा सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए।	72 पुलिस स्टेशनों में से, 22 पुलिस स्टेशनों में कोई हवालात नहीं था तथा अन्य पुलिस स्टेशनों के हवालातों का उपयोग इस प्रयोजन के लिए कर रहे थे। शेष 50 पुलिस स्टेशनों में, हवालातों का सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से प्रभावी रूप से निगरानी की जा रही थी। (अनुलग्नक-4 में विवरण है)

दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया (जून 2020) कि हवालात नये पुलिस स्टेशन परियोजनाओं में निर्मित किए जा रहे है। पुलिस ने यह भी कहा कि विभिन्न पुलिस प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी के स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। हालांकि, सभी पुलिस स्टेशनों को हवालात से युक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि कैदियों को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जहां हवालात उपलब्ध है, तक ले जाने में शामिल जोखिम को कम किया जा सके।

4.7.2 पुलिस कर्मी केंद्रित सुविधाएं

पुलिस कर्मी के लिए बैरक

आवश्यकता	*स्थिति*
कम से कम 120 पुरूष और सात महिला पुलिस कार्मिक के लिए अलग बैरक, शौचालयों की पर्याप्त संख्या, पेशाब एवं स्नान क्षेत्र के साथ, प्रदान किये जाने है।	– किसी भी पुलिस स्टेशन (पु.स्टे.) में महिला पुलिस कर्मी के लिए अलग बैरक नहीं था। – तीन[32] पु.स्टे. में पुरूष पुलिस कर्मी के लिए भी कोई बैरक नहीं था। – शेष 69 पु.स्टे. में से 17 में 20 बिस्तरों से कम क्षमता वाले बैरक थे। – इसके अतिरिक्त, बैरक की स्थिति सफाई, स्वच्छता, वेंटिलेशन तथा रोशनी के संदर्भ में बहुत ही दयनीय थे। – बैरक के साथ लगे शौचालय बेहद अपर्याप्त और दयनीय स्थिति में थे।

चित्रः 4.4: निरीक्षित पुलिस स्टेशन में बैरक व शौचालयों की स्थिति

[32] रोहिणी में शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन तथा नरेला पुलिस स्टेशन द्वारका में छावला पुलिस स्टेशन

कैंटीन/मेस और रसोई

आवश्यकता	*स्थिति*
बैरक में रहने वाले और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मी के लिए रसोई आधुनिक उपकरणों सहित और कैफेटेरिया आधुनिक फर्नीचर सहित की आवश्यकता है	– 72 पुलिस स्टेशनों में से चार[33] पुलिस स्टेशनों में कैंटीन और रसोई की सुविधा नहीं थी, और अन्य चार पुलिस स्टेशनों में बैठने की जगह के बिना केवल रसोई की सुविधा थी। – इसके अलावा, 23 पुलिस स्टेशनों में कैंटीन/मेस में अपर्याप्त स्थान था। – विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कैंटीन और रसोई की स्थिति कुछ अच्छी कुछ बुरी और अस्वच्छ थी। रसोई और कैंटीन क्षेत्र के उदाहरणार्थ चित्र नीचे दिए गए हैं:

चित्र 4.5 पुलिस स्टेशनों में रसोई/मेस की उदाहरणार्थ चित्र

क्रेच

मानदंडों के अनुसार, जहां बड़ी संख्या में जनशक्ति को तैनात किया गया है वहाँ एक क्रेच प्रदान किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 72 पुलिस स्टेशनों में से केवल 9 पुलिस स्टेशनों में क्रेच की सुविधा है, जबकि प्रत्येक पुलिस स्टेशनों में लगभग 100 कर्मचारी तैनात थे (विवरण अनुलग्नक-4 में)।

परेड और खेल के लिए खुला मैदान

मानदंडों के अनुसार, पुलिस स्टेशनों के परिसर में परेड और खेल खेलने के लिए (वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल) पर्याप्त खुला मैदान उपलब्ध होना चाहिए। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 72 में से 47 पुलिस स्टेशनों के पास कोई खुला मैदान नहीं था जिससे पुलिस कर्मी आउटडोर खेल की सुविधाओं से वंचित थे।

[33] संगम विहार पुलिस स्टेशन (दक्षिणी जिला), देशबन्धु गुप्ता रोड़ पुलिस स्टेशन (मध्य जिला), उत्तरी एवेन्यू पुलिस स्टेशन तथा दक्षिणी एवेन्यू पुलिस स्टेशन (नई दिल्ली जिला)

इसी तरह, 72 पुलिस स्टेशनों में से केवल नौ और 14 पुलिस स्टेशनों में क्रमशः जिम उपकरण और मनोरंजन कक्ष उपलब्ध थे (विवरण अनुलग्नक-4 में)।

सुरक्षा/रक्षा बुनियादी ढांचा

- चारदीवारी: उत्तर पूर्वी जिले के दो[34] पुलिस स्टेशनों में उचित बाउंड्री वॉल नहीं थी।
- वॉच टॉवरः 72 पुलिस स्टेशनों में से केवल दो में वॉच टावर थे।
- अग्निशमन प्रणालीः आठ पुलिस स्टेशनों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं थे, जिससे आग लगने का खतरा होता है।
- उजाले और वेंटिलेशनः सात पुलिस स्टेशनों में उचित प्रकाश और वेंटिलेशन के सिस्टम नहीं थे।

दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया (जून 2020) कि जहां भी चारदीवारी नहीं है का आंकलन भेजने का एक आवेदन पीडब्ल्यूडी को किया गया है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

किराए के भवनों में पुलिस थाने

परीक्षण किए गए छः पुलिस जिलों में, 72 पुलिस स्टेशनों में से छः किराए के भवनों में काम कर रहे थे। यह भी देखा गया कि सभी छः पुलिस थाने जुलाई 2019 तक, 10 से अधिक वर्षों से इन किराए की इमारतों में काम कर रहे हैं और इन छः पुलिस स्टेशनों की इमारतों में से चार जर्जर हालत में पाए गए, खासकर करावल नगर पुलिस थाना, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा के मामले में असुरक्षित होने की सूचना दी थी।

इन छः पुलिस स्टेशनों में अपर्याप्त जगह थी जिसके परिणामस्वरूप सुविधाओं की कमी यानी पार्किंग की जगह, बैरक, खेल का मैदान, प्रतिक्षालय आदि की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा/रक्षा बुनियादी ढांचा जैसे लॉकअप, वॉच टावर आदि का अभाव था।

आगे यह देखा गया कि यद्यपि दिल्ली पुलिस उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों के साथ इस मामले को आगे बढ़ा रही है, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी है। गृह मंत्रालय इस संबंध में समय पर कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालय से बात कर सकता है।

दिल्ली पुलिस को स्टेशनों में कार्यात्मक स्थान में जर्जर स्थिति का आकलन करना चाहिए और एक निर्धारित तथा समयबद्ध तरीके से उनके उन्नयन की

[34] करावल नगर पुलिस स्टेशन, हर्ष विहार पुलिस स्टेशन, जाफराबाद पुलिस स्टेशन।

योजना बनाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुलिस स्टेशनों में बुनियादी ढांचा बीपीआरएण्डडी के मापदंड़ों के अनुसार हो।

दिल्ली पुलिस ने जवाब (जून 2020) दिया कि भूमि मालिक एजेंसियों को किराए के भवनों में चल रहे पुलिस स्टेशनों के लिए भूमि आंवटन करने के लिए कहा गया है। लेखापरीक्षा का मानना है कि जहां कहीं भी भूमि आवंटन में मुख्य बाधाएँ/विलंब है, का मामला गृ.मं. द्वारा निपटारा किया जा सकता है।